(30)

दिनांक 26.03.2025 को श्री प्रणव कुमार, भा.प्र.से., सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, द्वारा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक की कार्यवाहीः—

1. सर्वप्रथम सचिव द्वारा विभागीय उप सचिव, स्थापना को तीन दिनों के भीतर सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की योग्यता एवं विशेषज्ञता का डाटाबेस तैयार करने का निदेश दिया गया।
2. संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी एवं भारतीय नृत्य कला मंदिर में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विषय की विशेषज्ञता आधारित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
3. शिवहर एवं सीतामढ़ी जिला में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का पद रिक्त है। रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने का निदेश दिया गया।
4. जन सामान्य नागरिको में कला के प्रति रूझान पैदा करने के लिए सचिव द्वारा सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को अपने—अपने जिले में विभाग द्वारा अनुमोदित सांस्कृतिक कैलेण्डर के अनुसार ससमय कार्यक्रम कराने तथा इसके अतिरिक्त विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समय—समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे—नृत्य—संगीत प्रतियोगिता आदि कराने का निदेश दिया गया है। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष कम—से—कम 12 कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. विभागीय मासिक पत्रिका के लिए जिला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम से संबंधित उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ के साथ—साथ आलेख ससमय मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश सचिव द्वारा सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तिमाही उनके विषय विशेषज्ञता से संदर्भित शोध आलेख विभागीय पत्रिका में प्रकाशन हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
6. सचिव द्वारा सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया कि वे अपने अपने जिलों में विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं से

(२१)

संदर्भित प्राक्कलन प्राप्त करते हुए कार्यों का समय समय पर भौतिक रूप से सम्यक् निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिला के कलाकारों का डाटाबेस तैयार करने का निदेश सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को दिया गया ताकि **MIS Portal** पर अपलोड कराया जा सके।

8. प्रत्येक जिला में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के जितने भी प्रेक्षागृह एवं कला दीर्घा है, उसके प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश का अध्ययन कर उसके रख–रखाव हेतु एक सप्ताह के भीतर आवश्यक सुझाव मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को दिया गया।

9. सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को उनके द्वारा कृत कार्यों से संबंधित एक पृष्ठीय प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

10. जिला पदाधिकारी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभाग द्वारा जो भी बजट उपलब्ध कराया जाता है, उसके आलोक में प्रबंधन, कार्यक्रम का संचालन एवं उस पर होने वाले व्यय हेतु जिला नजारत से ससमय समन्वय कर अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को दिया गया।

11. जिन जिलों में अटल कला भवन के निर्माण हेतु अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सका है, वहाँ के जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

12. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, भागलपुर को जिला पदाधिकारी कार्यालय के समीप अवस्थित ललित भवन के स्वामित्व की जानकारी प्राप्त कर मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

13. सचिव द्वारा सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को मेरा युवा भारत पोर्टल पर ऑन बोर्ड होने का निदेश देते हुए ई0एल0पी0 हेतु पाठ्यक्रम डिजाईन करने का निदेश दिया गया। इस संदर्भ में विशेष कार्य पदाधिकारी (छात्र एवं युवा कल्याण) एवं आई0टी0 मैनेजर को अगले सप्ताह सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के साथ इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

14. लखीसराय एवं मुंगेर के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को युवा उत्सव हेतु एक **Standard Format** तैयार करने का निदेश दिया गया।

15. कुछ जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उन्हें जिला स्तर पर अभी तक बैठने की व्यवस्था हेतु कार्यालय उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में सचिव द्वारा संबंधित जिलों में निर्मित प्रेक्षागृहों/अटल कला भवन में भी कार्यालय के अधिष्ठापन हेतु जगह चिन्हित करने का सुझाव देते हुए प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

16. बैठक के क्रम में कतिपय जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा लिपिक एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की मांग की गयी, इस संदर्भ में विभागीय उप सचिव को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

17. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित कराने का अनुरोध किया गया। इस पर सचिव द्वारा शीघ्र विभागीय परीक्षा के आयोजन कराने हेतु उप सचिव को निदेश दिया गया।

18. प्रत्येक माह जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित कराने हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी एवं निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय को निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(प्रणव कुमार) मा.प्र.से. 2/4/25
सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 240A / पटना, दिनांक 09/04/2025

प्रतिलिपिः– मा० मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/कार्यपालक अभियंता/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक अभियंता/क्षेत्रीय उप निदेशक/पी०एम०यू० लीड/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी/आई० टी० प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमृता प्रीतम)
विशेष कार्य पदाधिकारी।